राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर,

अपील संख्या :– 544/2024

अभिमन्यु सिंह **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये शासन सचिव, वित्त (राजस्व), राजस्थान, जयपुर।
2. निदेशक एवं पदेन संयुक्त शासन सचिव निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर।
3. आयुक्त, नगर परिषद (एक्स कॉडर) धौलपुर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 26.02.2024
आदेश की दिनांक : 07.03.2024

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री राकेश कुमावत, अधिवक्ता

समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

1. मामलें की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलिता प्रदान करते हुए उक्त अपील की सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत अपील में वर्णित तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलार्थी वर्तमान सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–2 के पद पर आयुक्त, नगर परिषद (एक्स कॉडर) धौलपुर में कार्यरत है। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 22.02.2024 (अनुलग्नक–1) द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण वर्तमान पदस्थापित स्थान से कमाण्डेंट आरएसी बटालियन में सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–प्रथम के पद पर किया गया है। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी का स्थानान्तरण पूर्व में आदेश दिनांक 20.09.2023 द्वारा कलेक्ट्रेट धौलपुर से नगर परिषद धौलपुर में किया गया था तथा इसके बाद दो महीने की अल्प अवधि में ही अपीलार्थी का स्थानान्तरण कमाण्डेंट आरएसी बटालियन में सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–प्रथम के पद पर कर दिया गया जबकि अपीलार्थी सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–2 का पद धारित करता है। अपीलार्थी के स्थानान्तरित स्थान पर सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–2 का पद नहीं है। अपीलार्थी का स्थानान्तरण सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–1 के रिक्त पद के विरूद्ध किया गया है उनका स्थानान्तरण असक्षम अधिकारी द्वारा किया गया है जो अनुचित एवं विधि विरूद्ध है।

3. अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार कर आलोच्य स्थानांतरण आदेश दिनांक 22.02.2024 (अनुलग्नक–1) को अपीलार्थी की सीमा तक अपास्त करते हुए प्रत्यर्थी विभाग को निर्देशित करे कि अपीलार्थी को सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–2 के पद पर आयुक्त, नगर परिषद (एक्स कॉडर) धौलपुर में कार्य करने दिया जावे तथा उसके कार्य में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करें।

4. हमने अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता को अपील की ग्राह्यता एवं स्थगन प्रार्थना–पत्र पर सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध तमाम अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया।

5. प्रकरण के तथ्यों, अभिलेख एवं अभिवचनों से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी प्रत्यर्थी विभाग के अधीन सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–2 के पद पर आयुक्त, नगर परिषद (एक्स कॉडर) धौलपुर में कार्यरत है। प्रशासनिक आवश्यकताओं में कार्मिक की सेवाएं किस स्थान पर ली जानी है, इसके निर्णय का अधिकार प्रत्यर्थी विभाग को है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने **शिल्पी बोस बनाम बिहार राज्य** (**ए.आई.आर. 1991 एस.सी. 532**) के प्रकरण में राजकीय कार्मिकों के स्थानान्तरण के विषय में निम्न प्रकार अवधारित किया है :–

"In our opinion, the Courts should not interfere with transfer orders which are made in public interest and for administrative reasons unless the transfer orders are made in violation of any mandatory statutory rule or on the ground of malafide. A Government servant holding a transferable post has no vested right to remain posted at one place or the other, he is liable to be transferred from one place to the other. Transfer orders issued by the competent authority do not violate any of his legal"

सेवाविधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि स्थानान्तरण सेवा का एक अभिन्न तत्व होता है। स्थानान्तरण करना नियोक्ता का अधिकार है और अपीलार्थी का स्थानान्तरण सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया है, इस कारण स्थानान्तरण आदेश में हस्तक्षेप करना उचित नहीं है।

8 उपर्युक्त समस्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील बलहीन एवं सारहीन होने से कारण मय स्थगन प्रार्थना पत्र के इसी प्रक्रम पर खारिज की जाती है।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य